पंजीकृत क्र. 5222/80-81
दूरभाष : +91 98711 96633
ईमेल : sanskarbharati1981@gmail.com

संस्कार भारती
कला एवं साहित्य की अखिल भारतीय संस्था

कार्यालय : कला संकुल
33, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली 110 002.

अध्यक्ष : डॉ. श्री मैसूर मंजुनाथ **महामंत्री** : डॉ. श्री अश्विन म. दलवी **कोषाध्यक्ष** : श्री सुभाष चन्द अग्रवाल

प्रस्ताव

Corporate Social Responsibility (CSR) निधि के विनियोग में कला गतिविधियों को प्राथमिकता मिले

प्राचीन काल से भारत में दान को अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त है । अथर्ववेद में कहा गया है:
'शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त संकिर'

इसका अर्थ है 'सौ हाथों से कमाएं और हजार हाथों से व्यय करें। यहां केवल व्यय करना लक्ष्य नहीं है, अपितु अपने परिश्रम से अर्जित धन को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व मानकर समाज कल्याण हेतु दान करने की भावना भी सम्मलित है।

दान परंपरा की यही भावना आज Corporate Social Responsibility (CSR) का आधुनिक रूप लेकर सामने आई है। CSR, उद्योग और व्यवसाय को सामाजिक दायित्वों से जोड़ने का एक सार्थक उपक्रम है, जो विकास कार्यों में समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करता है। समावेशी एवं शाश्वत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'कंपनी अधिनियम की धारा-135' के अनुसार पात्र कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों पर व्यय करना अनिवार्य है।

वर्तमान में CSR निधि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों के साथ ही कला क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम भी CSR निधि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम की धारा-135 के शेड्यूल VII (v) के अनुसार- राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की पुनर्स्थापना शामिल है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास के लिए CSR निधि का प्रावधान है। इन नियमों के अनुसार देशभर में अनेक प्रकार के शास्त्रीय व लोककला महोत्सव, कार्यशालाएं, प्रकल्प आदि निरंतर आयोजित होते रहते हैं। एक ओर जहां विभिन्न कला गतिविधियों के माध्यम से CSR नियमों के अनुसार कला-संस्कृति संरक्षण का कार्य निरंतर जारी है, वहीं दूसरी ओर, CSR से संबंधित अन्यान्य क्षेत्रों में भी कला के माध्यम से जनजागरण के अनेक प्रयोग हो रहे हैं । ऐसे सभी उपक्रमों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समाज तक प्रभावशाली संदेश पहुंचाने का कार्य संपन्न हो रहा है। इतनी विपुल संख्या में कला गतिविधियों के आयोजन के बाद भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के 'राष्ट्रीय CSR पोर्टल' के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र पर CSR निधि का केवल लगभग 2% ही व्यय हुआ है। संस्कार भारती की अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी इस विषय पर अपनी गहरी चिंता प्रकट करते हुए इसके कारणों की समीक्षा व प्रभावी निराकरण की आवश्यकता पर बल देती है। प्रबंधकारिणी का मानना है कि कला क्षेत्र में CSR के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कॉर्पोरेट संस्थानों, कला संस्थाओं और शासन के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

प्रबंधकारिणी आह्वान करती है कि शासन एवं नियामक संस्थाएँ 'कंपनी अधिनियम-135' के शेड्यूल VII (v) को अधिक सरल, स्पष्ट, पारदर्शी एवं जन-सुलभ बनाएं तथा उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें।

प्रबंधकारिणी कंपनियों से CSR राशि के वितरण में कला क्षेत्र को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है। कंपनियों के द्वारा विभिन्न शास्त्रीय तथा लोक कला महोत्सवों का आयोजन, शोध पीठों की स्थापना, पारंपरिक व लुप्त होती कलाओं के संरक्षण-संवर्धन और ऐसी अन्य योजनाओं में सहयोग की अपेक्षा है।

कला जगत में सक्रिय संस्थाएं व संगठन CSR निधि के प्रावधानों का उचित अध्ययन कर कलाकारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करें। कंपनियों के साथ संपर्क-समन्वय की रचना करना भी उपयुक्त होगा। इन सारे प्रयासों में संस्कार भारती के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सभी घटकों के समन्वित प्रयासों से इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी तथा CSR का लाभ स्थानीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों, कला समितियों और सांस्कृतिक आयोजनों तक भी प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा।

प्रबंधकारिणी मानती है कि कलाएं भारत की सौम्य शक्ति हैं। भारतीय कलाएं भारत की सांस्कृतिक निरंतरता को भी सुनिश्चित करती हैं। इस दृष्टि से कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए CSR निधि का अधिक उपयोग होने से समाज, भौतिक विकास के साथ ही, समावेशी, शाश्वत, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेगा।

संस्कार भारती, अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी बैठक
दिनांक : 11 अप्रैल 2026, **स्थान :** आगरा, उत्तर प्रदेश

★ ★ ★